<u>प्रकरण संख्या 36/2018 नैनूसिंह बनाम छोगासिंह</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.09.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धोटी में आराजी नंबर 711, 905, 910 कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी सगे भाई होकर दुर्गसिंह के पुत्र है, किन्तु प्रतिवादी वादी के काका टीलसिंह के गोद चले जाने से टीलसिंह की समस्त सम्पत्ति का स्वामी होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है तथा टीलसिंह की समस्त सम्पत्ति का वादी स्वामी होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है, किन्तु विरासत के नामान्तरकरण में वादी के साथ प्रतिवादी का नाम भी दर्ज हो जाने से प्रतिवादी नाजायत लाभ उठाने के कारण वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर लडाई–झगड़ा करता है। अतः वादी को वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित समस्त आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी का नाम हटाया जाकर निषेधाज्ञा जारी की जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व न्यायालय में रखकर अपने निर्णय दिनांक 31.05.2018 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय में यह प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री प्रकाश पालीवाल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट को बिना सूचना दिये एवं बिना सुने [illegible] पारित किया है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गयी, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखकर एकतरफा निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:20 IST
Reason: SelfAttested

ने मात्र पॉच लाईनों में निर्णय पारित कर डिक्री जारी कर दी, जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा खण्डन का जवाबदावा एवं प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया था तथा प्रकरण कायमी तनकियात हेतु नियत था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना तनकियात कायम किये एवं बिना पक्षकारों की सहमति के प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर प्रतिवादी को बिना सुने मात्र वादी के अभिवचनों के आधार पर केवल पॉच लाईनों में वाद डिक्री कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम की जाकर तथा उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.11.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं [illegible]स्व अपील अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:35:20 IST
Reason: SelfAttested